

14/10/16

अनिनायक पक्षकार उपस्थित।
आज कन्डोलेंस हो जाने। R.A.A.
महोदय अवकाश पर होने/अन्य
प्रशासकीय में होने/राजकीय अवकाश
होने के कारण मिसल पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 25/11/16 को पेश हो।

11/1/16

अभि. अक्षीलान्त/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 10/3/16 को पेश हो।

10/3/17

अभि. अक्षीलान्त/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 19/5/17 को पेश हो।

19/5/17

अभि. अक्षीलान्त/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 11/9/17 को पेश हो।

11-9-17

अभि. अक्षीलान्त/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 23/10/17 को पेश हो।

23/10/17

अभि. अक्षीलान्त/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 09/1/18 को पेश हो।

09/01/18

अभि. अक्षीलान्त/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल
दिनांक 28/03/18 को पेश हो।

पुनश्च: अधिवक्ता कपीलायी ने उपास्थित होकर
मिफेडनू विना कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी
काधेनिचम की कपीला से सम्बन्धित मूल दावा

09/01/2018

(अधिवक्ता/अभि.)
कपीला

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

तारीख हुकम	<p>216 2015</p> <p>प्रमुखी सिट / सखन के वर</p> <p>हुकम या कार्यवाही मय इतिशियलस जज</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	--	--

आधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिया गया है। किंतु यह अपील सारहीन हो गई है इसलिए स्वारित करमा के बावें। यही इस 225 अक्टूबर का प्रतकारी आधिनस्थ से सम्बन्धित मूल वाद को आधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिया गया है। किंतु यह अपील अब सारहीन हो गई है। किंतु अपील अपीलाधी सारहीन होने से स्वारित ~~करमा~~ की जाती है। तदनुसार पत्रावली केसल बुझार होकर वाद तत्कालीन वाखिल खतर है। कादेश सुनाया गया।